राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7889/2024

हरेन्द्र सिंह पुत्र सुन्दर सिंह, उम्र लगभग 32 वर्ष, वी.पी.ओ आवर, तहसील कुम्हेर, जिला भरतपुर, (राज.)।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, अपने सचिव के माध्यम से कृषि प्रबंधन संस्थान भवन दुर्गापुर जयपुर राजस्थान।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर, राजस्थान।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, राजसमंद।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद राजसमंद।

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री टी.एस. राठौड़

प्रतिवादी(गण) के लिए :

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>निर्णय (मौखिक)</u>

<u>24/05/2024</u>

1. याचिकाकर्ता की शिकायत, अन्य बातों के साथ-साथ, दिनांक 05.10.2023 के एक आदेश से उपजी है, जिसके अनुसार, कथित तौर पर याचिकाकर्ता से कम योग्यता वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति दी गई है। जबकि, याचिकाकर्ता का दावा है कि सफल होने और सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के बावजूद भी उसे नियुक्ति नहीं दी गई है।

2. याचिका में दिए गए प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी/आरएसईबी ने 16.12.2022 को शिक्षक ग्रेड-III, लेवल-I (विशेष शिक्षा) के पद के लिए विज्ञापन जारी किया। याचिकाकर्ता ने पात्र होने के कारण ऑनलाइन मोड के माध्यम से नॉन टीएसपी ओबीसी श्रेणी में इसके लिए आवेदन किया। इसके बाद याचिकाकर्ता

ने लिखित परीक्षा में भाग लिया और सफल होने पर दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाया गया।

2.1 दस्तावेजों के सत्यापन के बाद प्रतिवादियों ने अंतिम चयन सूची जारी की, जिसमें याचिकाकर्ता का नाम दर्शाया गया। प्रतिवादियों ने जिला आवंटन सूची जारी की, जिसमें याचिकाकर्ता का नाम क्रमांक 9 पर दर्शाया गया। याचिकाकर्ता ने उच्च प्राथमिक विद्यालय, तपोला, देवगढ़ को अपनी प्राथमिकता दी।

2.3. 05.10.2023 को जब प्रतिवादी संख्या 4 ने नियुक्ति आदेश जारी किए, तो याचिकाकर्ता से कम मेधावी उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया और उन्हें जिले आवंटित किए गए, लेकिन याचिकाकर्ता को नहीं। इसके बाद उन्होंने प्रतिवादियों से संपर्क किया। उन्हें बताया गया कि भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा दिया गया उनका प्रमाण पत्र दस्तावेजों के साथ टैग नहीं किया गया था। ऑनलाइन दस्तावेज जमा करने के समय, साथ ही दस्तावेज सत्यापन के समय, याचिकाकर्ता ने आरसीए प्रमाण पत्र प्रदान करने का दावा किया। इसलिए, यह याचिका।

3. तथ्यात्मक विवरण की उपरोक्त पृष्ठभूमि में, जो संलग्न शपथ-पत्र के माध्यम से विधिवत शपथ के रूप में दिया गया है, प्रथम दृष्टया ऐसा मामला प्रतीत होता है, जिसमें याचिकाकर्ता ने वास्तव में सभी अपेक्षित जानकारी, विशेष रूप से आरसीए से पंजीकरण प्रमाण-पत्र, जो याचिका के साथ संलग्न है, प्रदान की थी। न्यायालय के प्रश्न पर, याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील ने सूचित किया कि आरसीए प्रमाण-पत्र ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन पत्र के साथ कट ऑफ तिथि से पहले विधिवत संलग्न किया गया था, उसके बाद दस्तावेज़ सत्यापन के समय उक्त दस्तावेज़ को भौतिक रूप से दिखाया गया था। उन्होंने बताया कि किसी भी स्तर पर याचिकाकर्ता को यह सूचित नहीं किया गया था कि उसके पंजीकरण प्रमाण-पत्र में किसी भी प्रकार की कोई विसंगति है, ताकि वह विसंगति को दूर कर सके।

4. इसके बावजूद, न तो उनके उक्त प्रमाण पत्र को खारिज करने का कोई औपचारिक आदेश पारित किया गया है और न ही याचिकाकर्ता को उनके सफल होने के बावजूद नियुक्ति पत्र जारी किया है, जबकि उनके समकक्षों को नियुक्त किया गया है और वे संबंधित पदों पर सेवारत हैं।

5. उपरोक्त विशिष्ट आधार में, आदेश की प्रकृति को देखते हुए, जिसके लिए मैं प्रतिवादियों को औपचारिक नोटिस पारित करने का प्रस्ताव करता हूं, उसे समाप्त किया जा रहा है क्योंकि इससे उनके प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा।

6. रिट याचिका का निपटारा प्रतिवादियों को निर्देश देते हुए किया जाता है कि वे तत्काल आदेश के वेब प्रिंट के साथ याचिकाकर्ता के उनके पास आने पर सत्यापन करें और यदि उसका आरसीए प्रमाण पत्र सही पाया जाता है, तो उसे उसी तिथि से नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा, जिस तिथि को उसके समकक्षों की नियुक्ति की गई थी, साथ ही सभी आभासी लाभ और वरिष्ठता भी दी जाएगी। यदि किसी कारण से 30 दिनों की अवधि के भीतर सत्यापन नहीं किया जा सकता है, तो याचिकाकर्ता को प्रतिवादियों द्वारा की जाने वाली लंबित जांच के परिणाम के अधीन अनंतिम नियुक्ति दी जाएगी।

7. यह स्पष्ट किया जाता है कि अनंतिम नियुक्ति से याचिकाकर्ता को कोई समानता नहीं मिलेगी जिससे कि वह बाद में किसी विशेष लाभ का दावा कर सके, यदि उसका दस्तावेज, जैसा कि पूर्वोक्त है, वैध नहीं पाया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।